न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./179/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. लछमणाराम पुत्र लुम्बाराम, उम्र 43 वर्ष 2. लाभूराम पुत्र लुम्बाराम, उम्र 58 वर्ष 3. नारणाराम पुत्र लुम्बाराम, उम्र 53 वर्ष 4. हीरों पत्नी लुम्बाराम, उम्र 78 वर्ष, जाति जाट, निवासी कागों की ढाणी, पायला कला, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 5. दलूदेवी पत्नी दूदाराम, जाति जाट, निवासी पांयलाकला, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।	1. हरिया पुत्र मोटा, उम्र 48 वर्ष 2. हुकमाराम पुत्र मोटा, उम्र 45 वर्ष 3. आम्बा पुत्र मोटा, उम्र 43 वर्ष 4. भोमाराम पुत्र पेमाराम, उम्र 68 वर्ष 5. रूपाराम पुत्र पेमाराम, उम्र 63 वर्ष, जाति जाट, निवासी कागों की ढाणी, पायला कला, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 6. प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा सडा, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर। 7. श्रीमान तहसीलदार, सिणधरी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/2016 बउनवान हरिया वगैरह बनाम भोमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री रतनाराम चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री चोलाराम चौधरी उतरदाता संख्या 01 से 04 की ओर से।
3. वकील श्री जोगाराम पोटलिया उतरदाता संख्या 05 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–26.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 01 से 03/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा रामगढ, पटवार क्षेत्र पायला कला के खसरा संख्या 126/1, 171/1 रकबा क्रमशः 18.6555, 3.8994 हेक्टेयर एवं मौजा कांगो की ढाणी, पटवार क्षेत्र पायला कला, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 334, 335 रकबा क्रमशः 0.0971, 12.7660 हेक्टेयर आये हुए हैं। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान क़ाबिज–काश्त हैं। वर्तमान में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा वादी/रेस्पों. के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल, अजनबी क्रेता को बेचान एवं वादग्रस्त आराजी पर जबरन पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पों. संख्या 01 से 03/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इंस आशय का पेश किया कि रेस्पों. /वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा रामगढ, पटवार क्षेत्र पायला कला के खसरा संख्या 126/1, 171/1 रकबा क्रमशः 18.6555, 3.8994 हेक्टेयर एवं मौजा कांगो की ढाणी, पटवार क्षेत्र पायला कला, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 334, 335 रकबा क्रमशः 0.0971; 12.7660 हेक्टेयर आये हुए हैं। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज–काश्त हैं। अपीलांट/प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त से जबरन बेदखल, अजनबी क्रेता को बेचान एवं वादग्रस्त आराजी पर जबरन पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त हैं। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। मौके पर प्रतिवादी द्वारा अपीलांट को मारपीट व दखल किया जाकर जबरन पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर पत्रावली को वास्ते जवाब एवं तामील हेतु नियत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में विधिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तामील के बाद अपीलांट्स द्वारा इकबालिया जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। उक्त निर्णय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। उक्त प्रश्नगत निर्णय की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यथा आर.आई व हल्का पटवारी के द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया है जो विधि संगत नहीं है। संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर किये गये हैं। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2007 RRD PAGE NO.- 373 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "He is not competent to further delegate his authority or power to any subordinate official" उक्तानुसार तहसीलदार द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है जबकि विधि अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक माना गया है। विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदारों को अनुपातिक रूप से कब्जे काश्त अनुसार माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव प्रतीत होता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव को आधार बनाकर दिनांक 20.09.2024 को निर्णीत कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पों. संख्या 01 से 03/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा रामगढ, पटवार क्षेत्र पायला कला के खसरा संख्या 126/1, 171/1 रकबा क्रमशः 18.6555, 3.8994 हेक्टेयर एवं मौजा कांगों की ढाणी, पटवार क्षेत्र पायला कला, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 334, 335 रकबा क्रमशः 0.0971, 12.7660 हेक्टेयर आये हुए हैं। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज–काश्त हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। अपीलांट (प्रतिवादीगण) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिसको आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। जहां तक हिस्से को लेकर प्रश्न है उसके बारे में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सभी खातेदारों को कब्जा–काश्त के अनुसार बराबर–बराबर हिस्सों में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त के सबंध में अपीलांट के कथनों का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 5 अपीलाधीन आराजीं का सदभावी क्रेता सहखातेदार है। रेस्पोडेंटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांट सख्या 5 दलू देवी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इस कारण अपीलांट उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खातेदार हैं अगर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को साक्ष्य–सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पों. संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन निर्णय की आड़ में अपीलांट के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी की जाने लगी तो उसके बाद अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवांई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। इसके बावजूद अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत दोनों अपीलों को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में वादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में उक्त सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। हस्तगत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित किया जाना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन निर्णय में इसका अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिगाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/2016 बउनवान हरिया वगैरह बनाम भोमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2024 विधि की पूर्ण पालना के अभाव में अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

26/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर